पत्रांक 759/XXIX-(2) 2007

प्रेषक,

एस0के0 दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक : 19 जून, 2007

विषयः **पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में जल संवर्द्धन मिशन का गठन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

अवगत कराया जाना है कि दिनांक 22.05.2007 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता एवं माननीय पेयजल, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, मंत्री उत्तराखण्ड सरकार के मार्ग दर्शन में सचिवालय परिसर में नेशनल इंस्टीट्रयूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, केन्द्रीय मृदा एवं जल सरंक्षण संस्थान, वाडिया इंस्टीट्रयूट ऑफ जियोलोजी, कुमायूँ विश्वविद्यालय, सेन्टरल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड व प्रदेश सरकार के जल संरक्षण से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ "जल स्रोतों के सरंक्षण व संवर्द्धन" पर विचार गोष्ठी सम्पन्न हुई। इस गोष्ठी के पश्चात् राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा भी जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य को मूर्तरूप देने हेतु रूपरेखा प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास के कक्ष में तैयार की गयी।

इसी कम में स्मरण कराया जाना है कि पूर्व में शासनादेश संख्या 677/उन्तीस–2(05पे0)/2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 द्वारा भी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पेयजल स्रोतों के संरक्षण व संवर्द्धन एवं उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। यह समिति वर्तमान में भी शासनादेश के अनुसार विद्यमान है और समिति को दिये गये दायित्वों का निर्वहन किया जाना आवश्यक है। पुनः शासनादेश संख्या 1023 उन्तीस–2(05पे0)/2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 के द्वारा निष्क्रिय चाल/खाल का पुनर्जीवीकरण करने हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान तथा समस्त जिलाधिकारियों से कतिपय यह अपेक्षा की गयी थी कि जिला योजना के अंतर्गत भी इन कार्यो को सम्मिलित किया जायें।

उपरोक्त दोनों शासनादेशों में निर्देशित की गई कार्यवाही एवं दिनांक 22.05.2007 को हुई विचार गोष्ठी एवं बैठक के क्रम में उत्तराखण्ड में जल संवर्द्धन मिशन हेतु निम्न अग्रिम कार्यवाही किये जाने की सभी संबंधित अधिकारियों से निम्नानुसार अपेक्षा की गई है :–

(क) राज्य स्तरीय जल संवर्द्धन मिशन का निम्नानुसार गठन किया जाता है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मा0 मुख्यमंत्री जी | अध्यक्ष |
| 2. | मा0 पेयजल मंत्री जी | उपाध्यक्ष |
| 3. | प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 4. | सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य सचिव |
| 5. | सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 6. | सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 7. | सचिव, जलागम लघु सिंचाई एवं कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 8. | सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 9. | सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 10. | प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून। | सदस्य |
| 11. | मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून। | सदस्य |
| 12. | प्रतिनिधि, केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 13. | प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड देहरादून। | सदस्य |
| 14. | मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड देहरादून। | सदस्य |
| 15. | विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 16. | विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 17. | उद्यान निदेशक, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 18. | निदेशक, केन्द्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की। | सदस्य |
| 19. | प्रतिनिधि वाडिया अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 20. | निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 21. | प्रतिनिधि, कुमायूँ विश्वविधालय, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 22. | प्रतिनिधि, गढ़वाल विश्वविधालय, उत्तराखण्ड। | सदस्य |

(ख) उपरोक्त शासनादेश संख्या : 677/उन्तीस–2(05पे0)/2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 में दिये गये निर्देशों के कम में जनपदस्तरीय समिति को " जनपदीय जल संवर्द्धन मिशन " घोषित किया जाता है। जनपदीय जल संवर्द्धन समिति में जिलाधिकारी द्वारा कार्य भी आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ग) जल संवर्द्धन के कार्यो का क्षेत्र स्तर पर (ब्लाक स्तर ) कियान्वयन करने हेतु निम्न प्रकार ब्लाक स्तरीय जल संवर्द्धन मिशन का गठन किया जाता है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। | अध्यक्ष |
| 2. | सम्बन्धित अवर अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड। | सदस्य सचिव |
| 3. | सम्बन्धित अवर अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 4. | सम्बन्धित अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 5. | जलागम विभाग परियोजना के सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 6. | स्वजल परियोजना, के विकास खण्ड स्तरीय प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 7. | वन विभाग के सम्बन्धित वन राजि अधिकारी। | सदस्य |
| 8. | ए0डी0ओ0, (वानिकी), खण्ड विकास कार्यालय अथवा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित ए0डी0ओ0। | सदस्य |
| 9. | अध्यक्ष, द्वारा नामित दो सहयोगी संस्थायें। | सदस्य |
| 10. | अध्यक्ष, द्वारा नामित दो ब्लाक प्रमुख। | सदस्य |

उपरोक्त तीनों मिशन अपने–अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सूख रहे प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु प्रयासरत रहेंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों के अधीन गठित जल एवं जलागम समिति अथवा पेयजल एवं स्वच्छता समितियां जो भी कार्यरत हों व जल संवर्द्धन हेतु भी कार्य करेंगी। जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु सम्बन्धित विभाग एक दूसरे से तारतम्य स्थापित कर जनसहभागिता के सिद्वान्त व प्रकिया का पालन करते हुए उचित कार्यों का नियोजन, विरचन व रखरखाव पंचायती राज संस्थाओं से करवायेगें। इसके कियान्वयन हेतु जल संरक्षण हेतु तकनीकी एवं वैज्ञानिक जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थान से ली जायेगी। योजना बनाते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाय कि किये गये प्रयासों से स्रोतो के जलश्राव वृद्वि में सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़े व ग्रामीण जनमानस इससे लाभान्वित हो सके।

इस सम्बन्ध में वर्तमान में यह विचार आया है कि सामान्य तौर पर जल संवर्धन मिशन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है।

1. **दीर्घकालीन रणनीति :–**

इसके तहत राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (National Institute Of Hydrology) केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (Central Soil and Water Conservation Institute) आदि जैसे संस्थानों से सम्पर्क कर आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु उचित तकनीक अपनायी जाय। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गये आक्सीजन व हाईड्रोजन के आईसोटोप आधारित अध्ययन जटिल व समय साध्य प्रतीत होते हैं अतः यह कार्य अत्यधिक दीर्घकालीन रणनीति के अन्तर्गत किया जाय। यह कार्यवाही मुख्यतः जल संस्थान के द्वारा अन्य संस्थानों से सम्पर्क कर उनके सहयोग से सम्पन्न की जायेगी।

2. **तत्कालिक महत्व के कार्य :–**

गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि जल संवर्द्धन मिशन के निम्न दो मुख्य पहलू होगें।

(अ) वर्षा जल सग्रंह करना।

(ब) जलअभाव क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर जल संरक्षण करना।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर कार्यवाही योजनाबद्ध तरीके से निम्नानुसार सम्पन्न की जायेगी :–

**(1) जल सरंक्षण व सम्भरण कार्य योजना तैयार करना**

प्रारम्भ में दस जनपदों में एक–एक जलागम क्षेत्र को चिन्हांकित करने हेतु जल संस्थान द्वारा सूख रहे प्राकृतिक जल स्रोतों व समस्याग्रस्त क्षेत्रों की सूची दो सप्ताह के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार गठित समितियों द्वारा क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार कर इन क्षेत्रों में संवर्द्धन कार्य को एकीकृत रूप से संचालित किया जायेगा। इस कार्य योजना के निम्न अंश होंगे :–

1. जल स्रोत से ऊपर पूरे जलागम क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया जायेगा ताकि जल संवर्द्धन हो सके।
2. गधेरों पर चैक–डैम व गैबियन संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा ताकि जल बहाव को नियन्त्रित रूप से रोका जा सके।
3. चाल–खाल चिन्हित कर उनका सुदृढीकरण किया जायेगा ताकि जल संचय व सम्भरण की वृद्वि हो सके।
4. समस्त विभागों के द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का समावेश जल संरक्षण कार्य योजना में किया जायेगा इस प्रकार वन एवं पर्यावरण विभाग/सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग/पेयजल विभाग (जल निगम, जल संस्थान व स्वजल)/ग्राम्य विकास/उद्यान/कृषि/जलागम विभाग आदि द्वारा जिन क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा ही ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय कर कार्य योजना को कियान्वित किया जायेगा ताकि कार्य प्रगाति पर ध्यान केन्द्रित रखा जा सके।

**(2) समीक्षक स्तर**

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, ब्लॉक स्तर पर बी0डी0ओ0, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत/वन पंचायत द्वारा कार्यो की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

**(3) कार्य योजना के प्रमुख पहलू**

वन विभाग द्वारा पौधारोपण हेतु वन पंचायतों/ग्राम पंचायतों को चौड़ी पत्ती वाली पौध उपलब्ध करायी जायेगी। वन विभाग द्वारा पौधों के नर्सरी में उगाने की तैयारी कार्यदायी संस्थाओं की मॉग के अनुरूप की जाएगी तथा पौधों के संरक्षण एवं जीवित रहने पर सम्बन्धित वन पंचायत/ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

**(4) वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था**

वर्तमान समय में संचालित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यो का समावेश इस वित्तीय वर्ष में किया जायेगा एवं आगामी वर्षों के लिये यदि आवश्यक हो , तो पृथक मद के अन्तर्गत इस कार्य के लिये अतिरिक्त धनराशि की मांग की जायेगी। वर्तमान में ग्राम्या, स्वजल परियोजना, एन0आर0जी0पी0 एवं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत जल संवर्द्धन के कार्य हेतु वित्तीय प्राविधान उपलब्ध है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय संसाधनों को क्षेत्र विशेष हेतु चिन्हित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा ताकि किये गये कार्यो का सुप्रभाव और अनुश्रवण ठीक ढंग से हो सके।

संस्थावार व विभागवार दायित्वों का निर्धारण, विचार – विमर्श कर समितियों के द्वारा किया जायेगा तथापि वर्तमान में कार्य प्रारम्भ करने के दृष्टिकोण से निम्नानुसार विभागवार भागीदारी चिन्हित की जा रही है :–

**(1) जलागम परियोजना**

विश्व बैंक पोषित जलागम विकास परियोजना, क्षेत्र में वन पंचायत/ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य संचालन किया जायेगा व जल संवर्द्धन हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य किया जायेगा। जलागम विकास परियोजना द्वारा पूर्व में समेकित रूप से जल संरक्षण के कार्य किए गये हैं अतः कार्य प्रारम्भ करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रारम्भ में इसी परियोजना द्वारा किया जायेगा।

**(2) पेयजल विभाग (जल निगम, जल संस्थान व स्वजल परियोजना)**

जल संस्थान द्वारा जलश्राव में कमी वाले प्राकृतिक स्रोतों की सूची दी जायेगी। जल संस्थान द्वारा गधेरे, नौलों, चाल–खाल का चिन्हांकन भी किया जायेगा तथा जलागम क्षेत्रों में पडने वाले जल संवर्द्धन हेतु वांछित स्थलों का विवरण जलागम निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न तकनीकी संस्थाओं के साथ तालमेल तथा तकनीकी ज्ञानवर्द्धन व समन्वय भी जल संस्थान द्वारा किया जायेगा। स्वजल परियोजना द्वारा ग्राम

जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से नियोजन में योगदान दिया जायेगा। स्वजल द्वारा चयनित सहयोगी संस्थाओं की मदद से सूचना, शिक्षा व संचार (आई0 ई0 सी0) की कार्यवाही भी अपने चयनित ग्रामों में की जायेगी। उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम और उत्तराखण्ड़ जल संस्थान द्वारा कार्य योजना बनाये जाने हेतु ग्राम स्तरीय समितियों को तकनीकी मार्ग दर्षन दिया जायेगा और कार्य के कियान्वयन के समय गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अनुश्रवण भी किया जायेगा।

**(3) सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग**

ऐसे जलागम क्षेत्रों का चिन्हांकन करके जहां पर स्रोतों के संरक्षण व पुर्नजनन की आवश्यकता हो सिंचाई व लघुसिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान समय में गतिमान परियोजनाओं में उपरोक्त कार्य योजना का समावेश किया जायेगा। आगामी वर्षो के लिये यदि वांछित हो तो नवीन कार्य मद भी इस प्रयोजन हेतु रखेंगे। नियोजन में मार्गदर्शन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अनुश्रवण भी किया जायेगा।

**(4) मत्स्य पालन, उद्यान, कृषि विभाग**

उपरोक्तानुसार इन विभागों द्वारा भी कार्य योजना व उसके उद्देश्यों का समावेश अपनी योजनाओं में किया जायेगा व ग्राम पंचायतों आदि का जल संरक्षण व सवंर्द्धन हेतु मार्गदर्शन व सहयोग किया जायेगा। नियोजन में मार्गदर्शन व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अनुश्रवण भी किया जायेगा।

**(5) वन विभाग**

वन विभाग कार्यदायी संस्थाओं को पौधे उपलब्ध कराएगा तथा विभाग द्वारा वनीकरण से संबंधित समस्त योजनाओं में जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों को भी समावेशित किया जाएगा।

**(6) शिक्षा विभाग**

स्कूली बच्चों के माध्यम से जन– जागृति अभियान सम्पन्न किया जायेगा।

**(7) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून ,उत्तराखण्ड।**

इनके द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित कार्यों को द्रुत गति से सम्पादित कर एवं अपने से उच्च स्तर की समितियों को इंगित निम्न समय सारणी के अनुसार सूचित करें।

| क0सं0 | कार्यों का आवंटन/समितियां | कार्य सम्पादित की तिथियाँ |
|---|---|---|
| 1. | जल संवर्द्वन हेतु अभावग्रस्त स्थलों का चयन। | 1 जुलाई, 2007 से |
| 2. | जिला स्तर की बैठक कर ब्लाकों का मार्गदर्शन करना। | 4 जुलाई, 2007 तक |
| 3. | स्थल हेतु सूक्ष्म व विस्तृत नियोजन | |
| 4. | ब्लाक स्तर पर बैठक कर ग्राम समितियों का मार्गदर्शन करना। | 8 जुलाई, 2007 तक |
| 5. | ग्राम स्तर पर बैठक कर समितियों का मार्गदर्शन करना। | 01 जुलाई, 2007 से 15 जुलाई, 2007 तक |

कार्यों का प्रथम अनुश्रवण 16 अगस्त, 2007 तक एवं द्वितीय अनुश्रवण 15 सितम्बर, 2007 तक सुनिश्चित करते हुए सभी समितियों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न कर राज्य स्तरीय मिशन के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड को शासन स्तर पर सूचित करेंगे।

भवदीय,

(एस0के0दास)
मुख्य सचिव

पंत्राक संख्या : 759/XXIX(2)/07/तद्दिनांक

**प्रतिलिपि :–**

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, जलागम एवं लधु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, विधालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
12. सचिव, मत्स्य एवं कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
15. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित चाल/खालों के पुनर्जीवन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर वन विभाग के माध्यम से कराया जाए व उपरोक्तानुसार सहयोग दिया जाये।
17. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि चाल/खालों के पुनर्जीवन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर जलागम परियोजना निदेशालय के माध्यम से कराया जाए।
18. निदेशक, स्वजल परियोजना, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उनके द्वारा सैक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी कार्य कराये जा रहे हों, उनके अंतर्गत उपरोक्तानुसार कार्य को अनिवार्य रूप से किया जाए।
19. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, को इस आशय से प्रेषित की जिला परियोजना के अंतर्गत भी इन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाए।

20. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, को इस आशय से प्रेषित की जिला प्लान के अंतर्गत भी इन सभी कार्यो को सम्मिलित किया जाए।
21. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
22. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
23. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, लधु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
24. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड।
25. प्रतिनिधि वाडिया अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड।
26. प्रतिनिधि केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
27. प्रतिनिधि, कुमायूँ विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
28. प्रतिनिधि, गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
29. निदेशक, केन्द्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की।
30. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
31. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा।
32. सदस्य–सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।

आज्ञा से,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव,पेयजल